मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-1

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 11 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 20, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत "वन्देमातरम्" के गायन से प्रारंभ हुई.

2. शपथ

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 56-जबेरा से उप चुनाव में निर्वाचित श्री दशरथ सिंह लोधी दस्सू भैया, सदस्य ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

3. मुख्य प्रतिपक्षी दल के नेता की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा में मुख्य प्रतिपक्षी दल, इण्डियन नेशनल कांग्रेस की नेता, श्रीमती जमुना देवी के निधन के फलस्वरूप उनके स्थान पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस विधायक दल के द्वारा चयनित श्री अजय सिंह, सदस्य को स्थाई आदेश की कंडिका 92 (3) की अपेक्षानुसार, दिनांक 15 अप्रैल, 2011 को विधिवत् नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्रदान करने संबंधी घोषणा की गई। श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा अपनी एवं सदन की ओर से श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया गया तथा नेता प्रतिपक्ष द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

4. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री भजनलाल, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्रीमती सुशीला रोहतगी, सर्वश्री चतुरानन मिश्र एवं दौलतराम सारण, पूर्व केन्द्रीय मंत्रीगण, सर्वश्री तनवंत सिंह कीर एवं सुधाकर बापट, पूर्व मंत्री एवं सदस्यगण, सर्वश्री शंभू तिवारी, गोवर्धन सिंह कुशवाह, आत्माराम इंगोले, मोहम्मद हारून मोहम्मद अमीन, बाबूलाल महेरे, हीरालाल पिप्पल, भूतपूर्व सदस्यगण विधान सभा, श्री सत्यसाईं बाबा, आध्यात्मिक धर्मगुरू तथा दिनांक 10 जुलाई, 2011 को उत्तर प्रदेश के मलवां क्षेत्र में कालका मेल दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामलखन सिंह, भगवान सिंह राजपूत, सदस्यगण ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये। सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई। पूर्वाह्न 11.05 बजे दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.12 बजे पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

5. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 1 प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 48 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 30 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

6. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर में प्रतिबंध के बावजूद मत्स्याखेट किये जाने,
(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल के बैरागढ़ में शरणार्थियों की भूमि को, ट्रस्ट को सस्ते में आवंटित किये जाने,
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने जावरा में रेल्वे ब्रिज का निर्माण न किये जाने,
(4) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम जिले में किसानों को घटिया किस्म का बीज दिये जाने,
(5) श्री भैयाराम पटेल, सदस्य ने तेंदूखेड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26, 12 व अन्य मार्गों की स्थिति खराब होने तथा
(6) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य ने परसवाड़ा की गंगुलपारा बीट के श्रमिकों को बीमा राशि न दिए जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

7. अध्यक्षीय निर्देश

शून्यकाल के दौरान, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं सागर क्षेत्र के सदस्यगण द्वारा आज सदन की कार्यवाही के दौरान, सागर जिले में प्रभारी मंत्री द्वारा बैठक रखने पर आपत्ति व्यक्त की गई। माननीय सदस्यों द्वारा उनके विधायी कार्यों का हित-संरक्षण नहीं होने के संबंध में अध्यक्ष महोदय से शासन को निर्देश देने की मांग की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भी इससे सहमति व्यक्त की गई कि सत्रकाल में संबंधित विधायकों के जिला स्तरीय बैठकों में भाग नहीं लेपाने के कारण जनहित के मामलों पर समुचित विचार नहीं हो पाता है। अत: उनके द्वारा सदन की बैठकों के दौरान जिलों में संबंधित विधायकों की बैठकें नहीं रखने हेतु शासन को सुनिश्चित व्यवस्था करने तथा उक्त बैठक के निर्णयों की आगामी बैठक में समीक्षा करने के निर्देश दिये गये। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया।

8. फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र के प्रश्नोत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप, शेष दिनांक के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

9. फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र में नियम 267-क के अधीन सूचनाओं तथा उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उन पर शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

10. महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित 18 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई है। अत: निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे:-

क्रमांक	विधेयक का नाम	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2011
2.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2011
3.	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2011
4.	मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2011
5.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2011
6.	मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2011

7.	मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2011
8.	न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2011
9.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2011
10.	मध्यप्रदेश विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2011
11.	मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2011
12.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2011
13.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2011
14.	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2011
15.	मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2011
16.	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2011
17.	मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2011
18.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5 सन् 2011)	अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2011

11. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री ठाकुरदास नागवंशी एवं गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्यगण ने प्रदेश में संचालित उचित मूल्य की दुकानों से घटिया चावल प्रदाय होने की ओर राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पारस जैन, राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री पांचीलाल मेड़ा, ओमकार सिंह मरकाम एवं बिसाहूलाल सिंह, सदस्यगण ने अनूपपुर जिले में आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

12. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 11 जुलाई, 2011 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है:-

क्रमांक	नाम	निर्धारित समय
1.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011)	30 मिनट
2.	वर्ष 2011-12 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे

3.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10	1 घण्टा
4.	मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08	1 घण्टा
5.	मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त का पच्चीसवां एवं छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 तथा तत्संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा हिन्दी रूपान्तर	1 घण्टा
6.	मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010	1 घण्टा

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री ज्ञान सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्रीमती नीता पटैरिया
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रामलखन सिंह

14. भारतीय क्रिकेट टीम की विजय के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विगत सत्र में भारतीय क्रिकेट टीम की विश्वकप सेमीफाइनल में विजय पर उनके द्वारा माननीय सदस्यों को भोज दिया गया था एवं दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को आसंदी से यह घोषणा की गई थी कि यदि भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल मैच में विजयी होने पर आगामी सत्र में भोज दिया जाएगा।

दिनांक 2 अप्रैल, 2011 को भारतीय टीम की विजय हुई, इस हेतु सदन की ओर से भारतीय टीम को बधाई दी गई तथा घोषणानुसार भोज की व्यवस्था सत्र के दौरान की जायेगी।

15. सामाजिक न्याय मंत्री का प्रश्न के उत्तर में संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य

श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री ने दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 88 (क्रमांक 1959) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 21, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 11 जुलाई, 2011